ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.21, No2, April – June, 2026/317

आजाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

मुकेश कुमार शर्मा

https://doi.org/ 10.61410/had.v21i2.308

सारांशः

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की बुनियादी शर्त मानी जाती है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त देश में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, जो लोकतंत्र की सुदृढ़ता, जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता का आधार है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इस अधिकार के संरक्षण हेतु संवैधानिक, न्यायिक और संस्थागत प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्र प्रेस, सक्रिय न्यायपालिका, साहित्य–कला का विकास तथा डिजिटल माध्यमों का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। वहीं दूसरी ओर, कानूनी प्रतिबंधों का दुरुपयोग, मीडिया पर दबाव, फेक न्यूज, घृणास्पद भाषण, आत्म–सेंसरशिप और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति पर नियंत्रण जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। यह लेख आजाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा, संवैधानिक आधार, प्रमुख उपलब्धियों और समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के उपायों पर प्रकाश डालता है।

कुंजी शब्दः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, मीडिया, मौलिक अधिकार।

प्रस्तावनाः

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा मानी जाती है। यह वह अधिकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों, आलोचनाओं तथा रचनात्मक दृष्टिकोण को निर्भीक होकर समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जिस समाज में विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति बाधित होती है, वहाँ न केवल लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर पड़ जाती हैं, बल्कि सामाजिक विकास, बौद्धिक प्रगति और मानवीय गरिमा भी प्रभावित होती है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यही स्वतंत्रता विभिन्न मतों, विचारधाराओं और जीवन–दृष्टियों के सह–अस्तित्व को संभव बनाती है।

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन स्वयं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों का सशक्त उदाहरण है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए प्रेस अधिनियम, सेंसरशिप कानून और कठोर दमनकारी नीतियाँ अपनाईं। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, लेखकों और संपादकों की गिरफ्तारी तथा विचारशील नेताओं पर मुकदमे इस बात के प्रमाण हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय कितनी सीमित थी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने लेखन, भाषण और पत्रकारिता के माध्यम से न केवल औपनिवेशिक शासन की आलोचना की, बल्कि जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार भी किया। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक केंद्रीय तत्व रही।

- **सह आचार्य, शिक्षा विभाग, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)**

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने अतीत के इन अनुभवों से सीख लेते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह प्रावधान इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वतंत्र भारत में नागरिक केवल शासित नहीं होंगे, बल्कि शासन में सक्रिय भागीदार होंगे। लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने, प्रश्न उठाने और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता हो।

हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने यह भी स्वीकार किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती। सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध आवश्यक हैं। इसी कारण अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य को कुछ सीमाओं के भीतर इस अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। यह संतुलन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र प्रेस, सक्रिय न्यायपालिका, साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलनों तथा नागरिक समाज की भागीदारी ने इस अधिकार को सुदृढ़ बनाया है। मीडिया ने भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर कर सत्ता को जवाबदेह बनाने का कार्य किया है। साहित्य और कला ने समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को मुख्यधारा में लाने में योगदान दिया है। न्यायपालिका ने समय≤ पर ऐसे निर्णय दिए हैं, जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण मिला है।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नया आयाम दिया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों ने आम नागरिक को अपनी बात कहने का सशक्त माध्यम प्रदान किया है। अब अभिव्यक्ति केवल सीमित वर्ग तक नहीं रही, बल्कि समाज के व्यापक वर्गों तक पहुँचने लगी है। यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए अवसर भी लेकर आया है और चुनौतियाँ भी।

समकालीन भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई जटिल समस्याओं से घिरी हुई है। एक ओर जहाँ कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग, मीडिया पर राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव, फेक न्यूज, घृणास्पद भाषण और सोशल मीडिया ट्रोलिंग जैसी समस्याएँ सामने आई हैं, वहीं दूसरी ओर आत्म–सेंसरशिप और असहमति के प्रति असहिष्णुता भी बढ़ी है। कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या धार्मिक भावनाओं के नाम पर अभिव्यक्ति को सीमित करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न उठते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति का गहन अध्ययन किया जाए। इसके अंतर्गत यह समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में यह स्वतंत्रता लोकतंत्र को सशक्त बनाती है और किन स्थितियों में इसके समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा, इसके संवैधानिक आधार, ऐतिहासिक विकास, प्रमुख उपलब्धियों और समकालीन चुनौतियों का समग्र विश्लेषण करना है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। एक सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, साथ ही इसका उपयोग जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। यही संतुलन भारत के लोकतंत्र को दीर्घकाल तक मजबूत बनाए रख सकता है। प्रस्तुत लेख में स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उपलब्धियों और चुनौतियों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ एवं अवधारणाः

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल बोलने की आजादी तक सीमित नहीं है। इसमें व्यक्ति को अपने विचार किसी भी वैध माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति के आत्म–विकास, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक सहभागिता का मूल आधार है। अभिव्यक्ति के प्रमुख रूप हैं–

- भाषण और लेखन
- समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और पुस्तकें
- कला, साहित्य, नाटक और सिनेमा
- शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन
- इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल मंच

यह स्वतंत्रता समाज में संवाद, सहिष्णुता और सुधार की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक आधारः

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, क्योंकि इसके बिना नागरिक शासन में प्रभावी भागीदारी नहीं कर सकते। हालाँकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य को युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। ये प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाए जा सकते हैं–

- राज्य की सुरक्षा
- सार्वजनिक व्यवस्था
- शिष्टाचार और नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मनहानि
- अपराध के लिए उकसावा
- भारत की संप्रभुता और अखंडता

इस प्रकार संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करता है।

स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रमुख उपलब्धियाँ:

स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने लोकतांत्रिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार केवल कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यवहार में भी समाज को दिशा देने वाला तत्व बना है।

1- **लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक सहभागिता–** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नागरिकों को सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाने तथा आलोचना करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। चुनावों के दौरान राजनीतिक विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जनसभाएँ, बहसें और मीडिया चर्चाएँ लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती हैं। असहमति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता ने यह सुनिश्चित किया है कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन न होकर संवाद और विमर्श की प्रक्रिया बने।

2- **स्वतंत्र और सशक्त प्रेस की भूमिका–** स्वतंत्र भारत में प्रेस ने "लोकतंत्र के चौथे स्तंभ" के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने–

- भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया
- प्रशासनिक विफलताओं पर प्रकाश डाला
- सामाजिक अन्याय और मानवाधिकार उल्लंघनों को सामने लाया

बोफोर्स घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम मामला, निर्भया कांड और पर्यावरणीय मुद्दों पर मीडिया रिपोर्टिंग इस उपलब्धि के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रेस की स्वतंत्रता ने जनमत के निर्माण और लोकतांत्रिक चेतना के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

3- **न्यायपालिका द्वारा संरक्षण–** भारतीय न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अनेक निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) तथा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) जैसे निर्णय इस बात के प्रमाण हैं कि न्यायपालिका ने समय≤ पर राज्य की अतिरेक शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिक स्वतंत्रताओं को संरक्षित किया है।

4- **साहित्य, कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का विकास–** स्वतंत्रता के बाद भारतीय साहित्य, कला, नाटक और सिनेमा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है।

- प्रगतिशील साहित्य आंदोलन
- दलित साहित्य और स्त्री विमर्श
- यथार्थवादी और समानांतर सिनेमा

इन सभी ने समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को स्थान दिया। कला और साहित्य सामाजिक सुधार, चेतना और संवेदनशीलता के प्रभावी माध्यम बने हैं।

5- **डिजिटल माध्यमों का विस्तार–** इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक और लोकतांत्रिक बनाया है। अब आम नागरिक भी ब्लॉग, पोस्ट, वीडियो और

ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। जनआंदोलनों, सामाजिक अभियानों और वैकल्पिक पत्रकारिता के लिए डिजिटल मंचों ने नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण आधुनिक उपलब्धि है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख कानूनः

- प्रेस काउंसिल अधिनियम
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता की धारा 124। (राजद्रोह–पुनर्विचाराधीन)

इन कानूनों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है, किंतु इनके दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समकालीन चुनौतियाँः

जहाँ एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर समकालीन भारत में यह अनेक गंभीर चुनौतियों से भी घिरी हुई है–

1- **कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग–** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ी चुनौती कुछ कानूनों के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। राजद्रोह, यूएपीए और अन्य कठोर कानूनों का प्रयोग कई बार आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। इससे भय का वातावरण बनता है और नागरिक खुलकर अपनी बात रखने से हिचकिचाने लगते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है।

2- **मीडिया पर राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव–** आधुनिक भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर राजनीतिक हस्तक्षेप और कॉर्पोरेट प्रभाव एक गंभीर चुनौती बन गया है।

- टीआरपी की होड़
- विज्ञापन पर निर्भरता
- पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग

इन कारणों से मीडिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों की बजाय सनसनीखेज खबरों को प्राथमिकता दी जाती है।

3- **सोशल मीडिया, फेक न्यूज और घृणास्पद भाषण–** डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ नई समस्याएँ भी जुड़ गई हैं।

- झूठी खबरें
- अफवाहें
- घृणास्पद और भड़काऊ भाषण

ये सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इस कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है।

4- **आत्म–सेंसरशिप–** डर, कानूनी कार्रवाई की आशंका, सामाजिक बहिष्कार और ऑनलाइन ट्रोलिंग के कारण कई पत्रकार, लेखक और कलाकार स्वयं ही अपनी अभिव्यक्ति सीमित कर लेते हैं। यह आत्म–सेंसरशिप लोकतंत्र के लिए एक अदृश्य लेकिन गहरी चुनौती है, क्योंकि इसमें विचार दबाए जाते हैं बिना किसी औपचारिक प्रतिबंध के।

5- **धार्मिक और सांस्कृतिक असहिष्णुता**– भारत जैसे विविध समाज में अभिव्यक्ति और धार्मिक–सांस्कृतिक भावनाओं के बीच टकराव की स्थिति बार–बार उत्पन्न होती है। कई बार साहित्यिक रचनाएँ, फिल्में या कलात्मक अभिव्यक्तियाँ विरोध, हिंसा और प्रतिबंध का सामना करती हैं। इससे रचनात्मक स्वतंत्रता सीमित होती है और भय का वातावरण बनता है।

6- **राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता**– राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति पर नियंत्रण एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। अत्यधिक नियंत्रण से नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जबकि पूर्ण छूट से सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस संतुलन को बनाए रखना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षाः

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति पर नियंत्रण एक संवेदनशील विषय है। आवश्यक है कि–

- देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो
- नागरिक स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे

अत्यधिक नियंत्रण लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्षः

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की आधारशिला है। यह केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिक चेतना, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता का मूल स्रोत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त यह स्वतंत्रता नागरिकों को अपने विचारों, विश्वासों और असहमति को व्यक्त करने का अधिकार देती है, जिससे लोकतंत्र जीवंत और उत्तरदायी बना रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रेस का विकास, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, साहित्य एवं कला की समृद्धि तथा डिजिटल माध्यमों के माध्यम से व्यापक जनभागीदारी प्रमुख हैं।

हालाँकि, बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनेक गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रही है। कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग, मीडिया पर राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और घृणास्पद भाषण, तथा बढ़ती आत्म–सेंसरशिप ने इस स्वतंत्रता की वास्तविक उपयोगिता को सीमित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं के नाम पर अभिव्यक्ति पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। न तो निरंकुश स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए हितकर है और न

ही अत्यधिक नियंत्रण। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य, मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहाँ विचारों की विविधता का सम्मान हो, असहमति को लोकतंत्र का स्वाभाविक अंग माना जाए और कानूनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में भी समझा जाए। एक सशक्त लोकतंत्र वही है जहाँ विचारों की विविधता का सम्मान हो और असहमति को राष्ट्रविरोध न माना जाए।

अंततः एक सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए उसका जिम्मेदार और संवेदनशील उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यही स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र को दीर्घकाल तक सुदृढ़ और जीवंत बनाए रखने की कुंजी है।

संदर्भः

1- ऑस्टिन, जी. (1966). द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनः कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2- बसु, डी. डी. (2019). भारतीय संविधान का परिचय. लेक्सिसनेक्सिस।
3- बक्शी, पी. एम. (2021). भारत का संविधान. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।
4- भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान. भारत सरकार प्रकाशन।
5- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. (2022). भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर रिपोर्ट. नई दिल्लीः प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया।
6- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000. (संशोधित संस्करण, 2021). भारत सरकार।
7- कुमार, के. (2018). लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।
8- आहूजा, आर. (2020). भारतीय समाजः संरचना और परिवर्तन. रावत पब्लिकेशन्स।
9- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. (2023). वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. पेरिसः आरडब्ल्यूबी।
10- चतुर्वेदी, पी. (2021). मीडिया, सत्ता और समाज. नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।
11- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग. (2022). अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वैश्विक रिपोर्ट. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।

डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, E-Mail: sharmamukeshg85@gmail-com,
नम्बरः 9636460039